

आवागमन विवाद अधिनियम 1947 को धारा 12(3) के अन्वय में समझौता स्थापन ।

पुबंधकों की तरफ से : श्री गौरव मामिक पुबंधक निदेशक मैसूर फ़ैसन एम्प्लॉयस एकाटनर 100 फ़ैस-I उद्योग विहार गुडगाँव

पुनिषण की तरफ से : श्री ललबीर सिंह प्रधान श्री सीताराम महासचिव -

- फ़ैसन एम्प्लॉयस एक्जिक्यूटिव संगठन विवाद का संश्लेषण विवरण

दिनांक 21 मार्च 2007 से बुद्ध विवादित मामला को लेकर संघान में व्यापक सभी कामिक/महिमा कामिक चरण पर बंद हुए हैं और कामिक अशांति बनी हुई थी। आज दिनांक 8 अप्रैल 2007 को पुबंधकों व पुनिषण के बीच एक समझौता बनी हुई और मामला को निपटान के लिए साहाय्यपूर्ण वातावरण के बालविल हुई और दोनों पक्षा के मित्रानुभवल मामला पर सहमति हुई। उपशमायुक्त की अध्यक्षता में

सतवीर सिंह  
Dabhi  
आवागमन  
Dabhi  
आवागमन

1. यह है कि पिछले दो साल का कना हुआ सामान इंकरीमेंट (वार्षिक बढ़ाव) सभी कामिकों को उभर परफ़ोरमैस के आधार पर दिया जाएगा।
  2. यह है कि 1 मई 2004 पर जो लीन दिन का वेतन काटा गया था वो वेतन सभी कामिकों को दिया जाएगा।
- सोमवती

3. यह है कि सामाना कुटियां पूर्व की भांति 8 से बढ़कर 10 बार दी जाएगी।

4. यह है कि दिन चार मादका शोभिका को दिनांक 21/3/07 को निलम्बित किया था (शोभिका बीनारानी, शोभिका सरवन देवी, शोभिका बीना देवी, शोभिका कुशमलता शर्मा) इनकी निलम्बन आदेश वापिस लेकर ड्यूटी पर लिया जाएगा।

5. यह है कि बोनस से सम्बन्धित व सामाना धारा से सम्बन्धित विवादों को पुनियन से बालचित करके सुलझा लिया जाएगा।

6. यह है कि पुनियन प्रधान श्री सतवीर सिंह व श्री आनन्द कुमार को सहायक के दिनांक 24 नवम्बर 2006 को सेवा बरखास्तगी आदेश को वापिस लेकर निलम्बित किया गया है और संस्थान के संबंधकों ने यह आश्वासन दिया कि एन-डि मादिके अगर संस्थान के मादिके अच्छा रहता है तो इनकी भी वापिस ड्यूटी ले लिया जाएगा।

7. यह है कि चरन को कौं को No Work No Pay को नियम को मानते हुए वेतन को दिया जाएगा।

यह है सभी शोभिका को अनुशासन के दृष्टिकोण पूर्व उत्पादन के सम्बन्धी अंशदंड देनी होगी।

यह है दोनों पक्षों द्वारा बिगर लकी शिक्षायत वापिस ले सम्झा जाएगा और दिन मादिके शोभिका द्वारा शिक्षायत को गई है उसको वापिस किया जाएगा।  
सोमवती

Deputy Labour Commissioner  
Gurgaon-1

लाभ संस्थान के साहाय्यपूर्ण वातावरण बन सकें।  
दोनों पक्षों यह भी तय हुआ कि भविष्य में  
दोनों पक्ष मिली की विवाद को आपसी बातचीत  
से सुलझाने का प्रयास करेंगे।

शान्ति अनुशासन के उद्देश्य प्राप्त करेंगे और  
प्रबंधन की वकालत की वाकफ से कोई मांगवादी  
नहीं करेंगे जो मांगपत्र दिनांक ॥०७/०६ को दिया गया था उस  
पर भी सभी मामल निपट गए हैं।

प्रबंधन प्राधिकारी

*LAH*

General Manager

8-3-07.

पुनियन प्राधिकारी

सतपथ १२६

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

अध्यापक

Dalbir

आशाचंद

- गवाह
1. *[Signature]*
  2. *[Signature]*

मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किए गए। सोमवती  
सुनीता

*LA*

8-4-07

Deputy Labour Commissioner

Gurgaon-1